

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 650/2024
अनवान : -

1. नरेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र लालचन्द जाति सुथान निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र दुदाराम जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. शारदा देवी पुत्री लालचन्द जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. अनिल कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री नरेश कुमार जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. सुनील कुमार सुथार पुत्र विनोद कुमार जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. पूजा सुथार पुत्री विनोद कुमार जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लु।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 23/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 245/242 की कुल 1.1890 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 98/78 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 117/105 की कुल 0.9870 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चैलासरी तहसील पल्लु के खाता स0 134/31 की कुल 5.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 6 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है इन्होंने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा कर्मशाना के खाता संख्या 98/78 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में वादीगण बहिब काबिज है तथा रोही मौजा वान तहसील नोहर के खाता स0 245/242 की कुल 1.1890 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा रोही मौजा चैलासरी तहसील पल्लु के 134/31 के ख0न0 469/234 की 1.2230 हैक्ट व खसरा न0 460/107 की कुल 2.7400 हैक्ट भूमि में वादीगण बहिब काबिज है रोही मौजा बास नाथेवाला तहसील नोहर के खाता स0 117/105 की कुल 0.9870 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

1 यथावत काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता सं० 245/242 की कुल 1.1890 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता सं० 98/78 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा नाथोवाला तहसील नोहर के खाता सं० 117/105 की कुल 0.9870 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चैलासरी तहसील पल्लु के खाता सं० 134/31 की कुल 5.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने

भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कर्मशाना के खाता संख्या 98/78 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 245/242 की कुल 1.1890 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चैलासरी तहसील पल्लु के खाता स0 134/31 की कुल 5.2530 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर ख0न0 439/108 की 1.2900 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 469/234 की 1.2230 हैक्ट व ख0न0 460/107 की 2.7400 हैक्ट भूमि का वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स0 117/105 की कुल 0.9870 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 650/2024

अनवान : -

1. नरेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र लालचन्द जाति सुथान निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र दुदाराम जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. शारदा देवी पुत्री लालचन्द जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. अनिल कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री नरेश कुमार जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. सुनील कुमार सुथार पुत्र विनोद कुमार जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. पूजा सुथार पुत्री विनोद कुमार जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लु।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 650 सन 2024 निर्णय दिनांक 23/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कर्मशाना के खाता संख्या 98/78 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स० 245/242 की कुल 1.1890 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चैलासरी तहसील पल्लु के खाता स० 134/31 की कुल 5.2530 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर ख०न० 439/108 की 1.2900 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख०न० 469/234 की 1.2230 हैक्ट व ख०न० 460/107 की 2.7400 हैक्ट भूमि का वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता स० 117/105 की कुल 0.9870 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

ai
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर